94/108

I-9650/07

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

कोषागार लखनऊ
लखनऊ कमिश्नरी कचहरी
24 OCT 2007
स. को. अ./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
LKOTRY

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	–	रू0 24,91,328/–
बाजारू मूल्य	–	रू0 4,13,375/–
अदा किये गये जनरल स्टैम्प	–	रू0 2,49,200/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण – भूमि खसरा संख्या 107अ रकबा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ कोषागार से जारी
24 OCT 2007
स. को. स/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
LKOTRY

0.113 हे0, खसरा संख्या 107ब रकबा 0.383 हे0 कुल रकबा 0.496 हे0 का 2/3 भाग अर्थात बिक्रीत रकबा 0.3307 हे0 स्थित ग्राम– यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की इकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.3307 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

500456

लखनऊ कोषागार उ० प्र०

20 OCT

स. को. अ./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

LKO

से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ों की स्थितिं – नहीं

10. बोरिंग / कुआं अन्य –` कुछ भी नहीं है।

संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 107अ व 107ब

उत्तर	: खसरा नं0–नहर
दक्षिण	: खसरा नं0–108, 110
पूरब	: खसरा नं0–111
पश्चिम	: खसरा नं0–104, 105, 106

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

500457

प्रथम पक्ष की संख्या– 2 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
1. परीदीन 2. बुद्धू पुत्रगण कल्लू निवासीगण ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	गनेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 500458

-5-

यह विक्रय विलेख 1. परीदीन 2. बुद्धू पुत्रगण कल्लू निवासीगण ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है एवम् गनेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

500459

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 107अ रकबा 0.113 हे0, खसरा संख्या 107ब रकबा 0.383 हे0 कुल रकबा 0.496 हे0 का 2/3 भाग अर्थात बिक्रीत रकबा 0.3307 हे0 स्थित ग्राम– यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00945 के अनुसार भूमि विक्रेतागण के

गनेश

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

500460

नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है तथा विक्रेतागण को उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

500461

सीलिंग व पट्टे की नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

500462

विकेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विकेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विकेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रूपये

RUPEES

20000

रूपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

415071

कोषागार लखनऊ

लखनऊ कोषागार के वास्ते

24 OCT

स. को. अ / ...

आदर्श कोषागार

LKO

सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 24,91,328/— के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विकेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विकेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विकेतागण उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 209872

अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रय ुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रय ुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमे ा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रय ुदा सम्पत्ति

गनेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 209873

एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विकेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विकय शुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लखनऊ कोषागार से जारी

24 OCT 2001

स. को. अ/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

L K O T R Y

या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विकेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विकेंता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार लखनऊ कोषागार से पारित

24 OCT 2007

स. को. अ./कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ

LKOTRY

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

गनेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 709567

यह कि केता विकय शुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विकेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विकय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विकेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विकेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 709568

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 12,50,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.3307 हेक्टेअर की कुल मालियत 4,13,375/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0

गनेश

2,49,200/— जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण को रू0 12,45,664/— द्वारा चेक संख्या— 599289 दिनांकित 29.10.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेतागण को रू0 12,45,664/— द्वारा चेक संख्या— 599290

विक्रय पत्र

2,491,328.00/	**413,375.00**	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती परीदीन
पुत्र / पत्नी श्री कल्लू
पेशा कृषि
निवासी स्थायी यूसुफनगर बगियामऊ लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 30/10/2007 समय 2:16PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

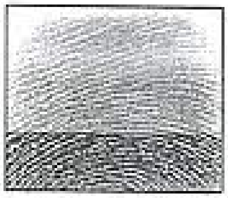

एच.के.पाण्डेय
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
30/10/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती परीदीन
पुत्र/पत्नी श्री कल्लू
पेशा कृषि
निवासी यूसुफनगर बगियामऊ लखनऊ

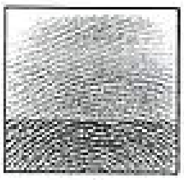

श्री/श्रीमती बुद्धू
पुत्र/पत्नी श्री कल्लू
पेशा कृषि
निवासी यूसुफनगर बगियामऊ लखनऊ

क्रेता

श्री/श्रीमती गनेश
पुत्र/पत्नी श्री मिठीलाल
पेशा व्यापार
निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी फतेहपुर

गनेश

दिनांकित 29.10.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विकेतागण को कुल विकय मूल्य 24,91,328/— (रूपया चौबीस लाख इक्यान्नबे हजार तीन सौ अठ्ठाईस मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विकेतागण स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेतागण को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:
दिनांक : 29.10.2007

गवाह :

1. क्रेता की पहचान की
संजीव कुमार 810 की बाउंडी
आलमबाग, लखनऊ

विकेतागण

गनेश
केता

2. विक्रेता की पहचान की
विश्वनाथ भागवत
मोहन गंज लखनऊ

टाईपकर्ताः—
(मोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ताः—
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री संजीव कुमार

पुत्र श्री वी0 बहादुर

पेशा नौकरी

निवासी लालबाग लखनऊ

व श्री विश्वनाथ विश्वनाथ

पुत्र श्री भगवन्त

पेशा नौकरी

निवासी मोहनगंज लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

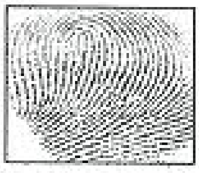

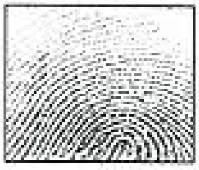

एच.के.पाण्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

30/10/2007

ग्राम यूसुफनगर परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ

खसरा सं0 107,

रकबा

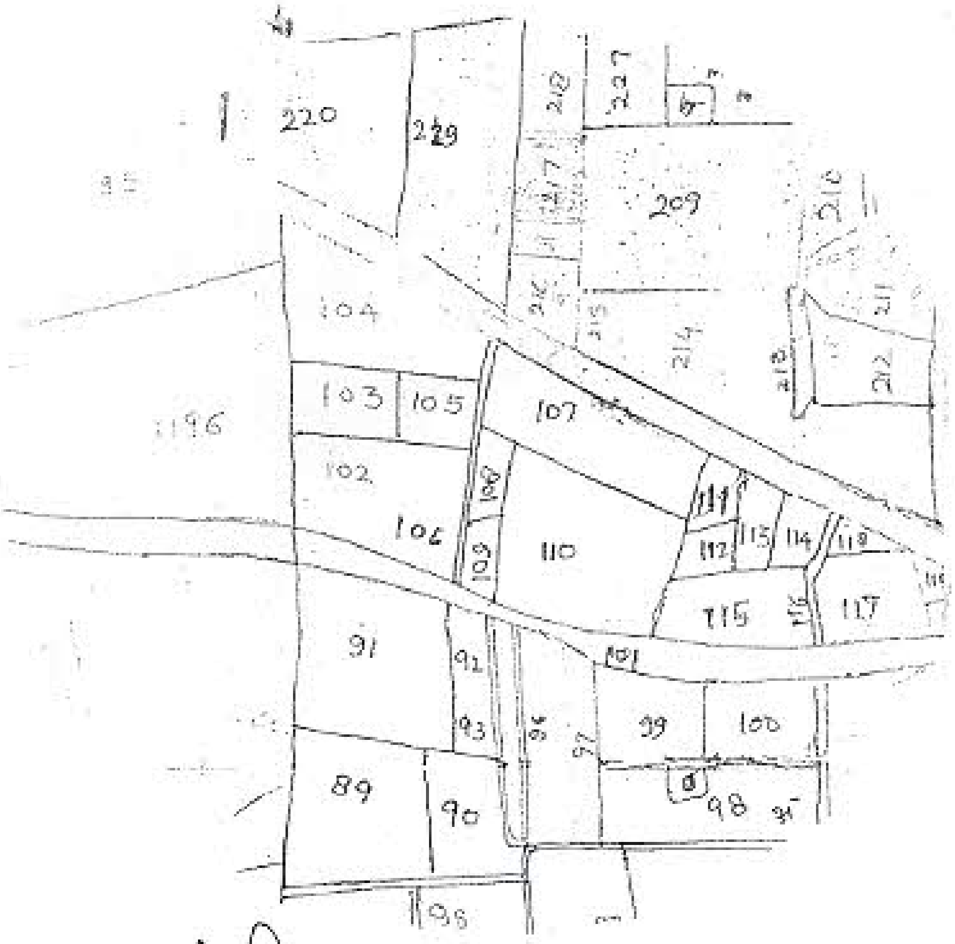

विक्रेता

क्रेता

गवाह

विक्रेता

Registration No 9650 Year : 2007 Book No. 1

0101 परीदीन

कल्लू

यूसुफनगर बगियामऊ लखनऊ

कृषि

0102 बुद्ध

कल्लू

यूसुफनगर बगियामऊ लखनऊ

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- ....

....

बांये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- ....

....

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता

Registration No. 9650 Year : 2007 Book No. 1

0201 गनेश

मिठीलाल

ग्राम मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा – 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :– ....

....

बांये हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हांथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

गनेश

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :– ....

....

बांये हांथ की की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हांथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 30/10/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8678

पृष्ठ सं. 301 से 342 पर कमांक 9650

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एच.के.पाण्डेय

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

30/10/2007